न्यायमूर्ति जवाहर लाल गुप्ता के समक्ष

दलीप कौर ई. *टी. सी.,-अपीलार्थी,*

बनाम

जे. ई. ई. डब्ल्यू. *ए. आर. ए. एम. और अन्य।-उत्तरदाता।*

निष्पादन नियमित अपील सं. 2120, 1995

8 दिसंबर, 1995।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908–एस. 144–भारत का संविधान, 1950–अनुच्छेद 136– डिक्री के निष्पादन में लिया गया कब्ज़ा-अपील में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डिक्री को खारिज कर दिया गया- कब्जे की बहाली - बाद के खरीददारों द्वारा बहाली पर आपत्ति - लिस पेंडेंस का सिद्धांत - की प्रयोज्यता।

निर्णय - कि सर्वोच्च न्यायालय इस देश में न्यायिक प्रणाली के 'पिरामिड' के शीर्ष पर है। सर्वोच्च न्यायालय के पास मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय के पास ऐसी डिक्री पारित करने या ऐसा आदेश देने की शक्ति है जो किसी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक है। इस प्रकार पारित कोई भी डिक्री या इस प्रकार दिया गया आदेश पूरे भारत में लागू होता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत, सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा पारित या किए गए किसी भी कारण या मामले में

किसी भी निर्णय, डिक्री, निर्धारण, सजा या आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए विशेष अनुमति देने का विवेक है।

(पैरा 7)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि डिक्री को पलट दिए जाने के बाद, पक्ष स्पष्ट रूप से कब्जे की बहाली के हकदार थे।केवल यह तथ्य कि वर्तमान अपीलार्थी उच्चतम न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं थे, इसका कोई महत्व नहीं है क्योंकि उनके हितों का विधिवत प्रतिनिधित्व उनके विक्रेता द्वारा किया जाता था जो कि एक पक्षकार थे।

(पैरा 7)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि इस दृष्टिकोण में कोई योग्यता नहीं है कि कार्यवाहीकार्यवाही मूल वाद मुकदमे की निरंतरता नहीं है।के वल यह तथ्य कि अपील करने की अनुमति संविधान के तहत प्राप्त की जानी है, इसका मतलब यह नहीं है कि दंड का सिद्धांत लागू नहीं होगा या डिक्री धारक कब्जे की बहाली का हकदार नहीं होगा।

(पैरा 7)

अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता के. के. गोयल के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता जे. आर. मित्तल।

प्रतिवादी संख्या 1 से 21 के लिए एल. एन. वर्मा, अधिवक्ता

निर्णय

न्यायमूर्ति जवाहर लाल गुप्ता,

(1) क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति के अनुदान के अनुसरण में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सिविल अपील की कार्यवाही मूल मुकदमे की कार्यवाही की निरंतरता नहीं है और क्या लिस पेंडेंस का सिद्धांत ऐसी कार्यवाही पर लागू नहीं होता है? यह संक्षिप्त प्रश्न है जो इस दूसरी अपील में उठता है।

(2) कुछ तथ्यों पर ध्यान दिया जा सकता है।

(3) लछमन प्रतिवादी संख्या 24 ने 9 कनाल 9 मरला भूमि की पूर्व-खाली के माध्यम से कब्जे के लिए मुकदमा दायर किया, जो प्रतिवादि 1 से 5 (मूल विक्रेताओं) को बेच दिया गया था। इस भूमि का एक हिस्सा प्रतिवादि 1 से 5 द्वारा प्रतिवादि 6 से 21 को बेच दिया गया था। 22 अगस्त, 1983 को विद्वत् विचारण न्यायालय द्वारा प्री-एम्पशन द्वारा कब्जे के मुकदमा का फैसला सुनाया गया था। इस डिक्री के अनुसरण में लछमन ने 6 अक्टूबर, 1983 को वाद भूमि पर कब्ज़ा कर लिया। प्रतिवादी 1 से 5 द्वारा दायर अपील को

माननीय जिला न्यायाधीश ने 18 मार्च 1985 को खारिज कर दिया था। इस न्यायालय में दूसरी अपील 26 सितंबर, 1985 को खारिज कर दी गई थी। इसके बाद, प्रतिवादी 1 से 5 ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत एक विशेष अनुमति याचिका दायर की। अनुमति दे दी गई। उत्तरदाताओं 1 से 5 की अपील दिनांक 5 अक्टूबर 1989 के आदेश द्वारा स्वीकार कर ली गई। तदनुसार, लक्ष्मण द्वारा मुकदमे को खारिज कर दिया गया। इसके बाद, मूल विक्रेता और प्रतिवादी 6 से 21 ने कब्जे की बहाली के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता की खंड 144 के तहत एक आवेदन दायर किया।

(4) अपीलार्थियों ने प्रतिवादी 22 और 23 के साथ आपत्तियां दायर कीं और आरोप लगाया कि उन्होंने लक्ष्मण से विवादित भूमि खरीदी थी, क्योंकि वह वास्तविक खरीदार है इसलिये सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत याचिका सक्षम नहीं थी। प्रतिवादीओं 1 से 21 ने आपत्तियों का जवाब दायर किया और अनुरोध किया कि मामला लिस पेंडेंस के ***सिद्धांत द्वारा*** शासित था।विद्वत विचारण न्यायालय ने निम्नलिखित मुद्दों को तैयार कियाः

(1) क्या आपत्तियाँ विचारणीय हैं जैसा कि याचिका में आरोप लगाया गया है? (ओपीपी)

(2) राहत

(5) 23 फरवरी, 1994 के फैसले के माध्यम से, विद्वत विचारण न्यायालय ने आपत्तियों को खारिज कर दिया। अपील पर, विचारण न्यायालय के आदेश को सही ठहराया गया। इस के पाश्चयत आपत्तिकर्ताओं ने वर्तमान द्वितीय अपील दायर की है.

(6) अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील श्री जे.आर.मित्तल द्वारा उठाया गया एकमात्र तर्क यह है कि लिस पेंडेंस का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील की कार्यवाही पर लागू नहीं होता है। उन्होंने मेवा सिंह और अन्य बनाम जागीर सिंह और अन्य[1] मामले में इस न्यायालय के फैसले पर दृढ़ता से भरोसा जताया है. अपीलकर्ताओं की ओर से किए गए दावे को उत्तरदाताओं 1 से 21 के विद्वान वकील द्वारा खंडित किया गया है।

(7) सबसे पहले, यह ध्यान में रखना अनिवार्य है कि सर्वोच्च न्यायालय इस देश में न्यायिक प्रणाली के 'पिरामिड' के शीर्ष पर है। यह मूल और अपीलीय क्षेत्र अधिकार का प्रयोग करता है। सर्वोच्च न्यायालय के पास ऐसी डिक्री पारित करने या ऐसा आदेश देने की शक्ति है जो किसी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक है। इस प्रकार पारित कोई भी डिक्री या इस प्रकार दिया गया आदेश पूरे भारत में लागू किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत, सर्वोच्च न्यायालय के पास "किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा पारित किए गए किसी भी मामले में किसी भी निर्णय, डिक्री, दृढ़ संकल्प, सजा या आदेश से अपील करने के लिए विशेष अनुमति देने" का विवेक है। सर्वोच्च न्यायालय के अधिपति एक अंतर्वर्ती आदेश में भी हस्तक्षेप कर सकते हैं। संविधान के अंतर्गत न्यायालय को प्रदत्त शक्तियाँ बहुत व्यापक हैं। इस शक्ति को न केवल उन मामलों में लागू और प्रयोग किया गया है जहां कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं, बल्कि उन मामलों में भी जहां उच्च न्यायालय साक्ष्य से गलत निष्कर्ष पर पहुंचा है। सर्वोच्च न्यायालय ने द्वितीय अपील या पुनरीक्षण याचिकाओं में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों में हस्तक्षेप किया है। वर्तमान मामले में, वह डिक्री जो विचारण न्यायालय द्वारा पारित की गई थी और निचली अपीलीय अदालत के साथ-साथ इस कोर्ट द्वारा दूसरी अपील में पुष्टि

[1] ए. आई. आर. 1971 पंजाब और हरियाणा 244।

की गई थी उस डिक्री को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्तियों द्वारा पलट दी गई। डिक्री को उलट दिए जाने के बाद, पक्ष स्पष्ट रूप से कब्जे की बहाली के हकदार थे। केवल यह तथ्य कि वर्तमान अपीलार्थी उच्चतम न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं थे, इसका कोई महत्व नहीं है क्योंकि उनके हितों का विधिवत प्रतिनिधित्व उनके विक्रेता द्वारा किया जाता था जो कि एक पक्षकार थे। इसके अलावा, "इस दृष्टिकोण के लिए ऐसा प्रतीत होता है कि इस दृष्टिकोण में कोई योग्यता नहीं है कि कार्यवाही मूल मुकदमे की निरंतरता नहीं है। केवल यह तथ्य है कि अपील करने की अनुमति संविधान के तहत प्राप्त की जानी है, इसका मतलब यह नहीं है कि लिस पेंडेंस का सिद्धांत लागू नहीं होगा या डिक्री-धारक कब्जे की बहाली का हकदार नहीं होगा?

(8) यह उल्लेख योग्य है कि मेवा सिंह के मामले (सुप्रा) का निर्णय गुण-दोष के आधार पर नहीं बल्कि पक्षों के बीच हुए समझौते के संदर्भ में किया गया था। आगे पाया गया कि अपीलकर्ताओं ने इस तथ्य को स्वीकार किया था कि "वे पुरुषोत्तम दास रतन से उस भूमि का कब्जा वापस पाने के हकदार नहीं थे क्योंकि वह अपील में पक्षकार नहीं थे और उनकी अभाव में यह नहीं माना जा सकता था कि उनके पक्ष में दिया गया उपहार काल्पनिक था। इन कारणों से, अपीलकर्ता अब पुरुषोत्तम दास रतन से 30 बीघा भूमि का कब्जा प्राप्त करने के लिए अदालत की सहायता नहीं ले सकते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान का अनुच्छेद 136 एक असाधारण उपाय है और अपील की सामान्य पंक्ति में नहीं है। हालाँकि, यह भी देखा गया कि "इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसी मुकदमे या अन्य कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान स्थानांतरित व्यक्ति उसके परिणाम से बंधा हुआ है, लेकिन उस सिद्धांत को इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि समझौते की याचिका के पैराग्राफ 10 में खंड (iv) को

शामिल करने और फिर उसे हटाने के मद्देनजर, जो सचेत कार्य थे और पुरषोतम दास रतन के अधिकारों को परेशान नहीं करने के जैसे थे।

(9) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, प्रारंभ में पूछे गए प्रश्न का उत्तर नकारात्मक है। यह माना जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही मूल मुकदमे की निरंतरता है और लिस पेंडेंस के साथ-साथ पुनर्स्थापन का सिद्धांत कार्यवाही पर लागू होगा। तदनुसार, यह माना जाता है कि इस अपील में कोई योग्यता नहीं है। इसे खारिज किया जाता है. हालाँकि, मामले की परिस्थितियों में, मैं लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं देता।

(10) अपील खारिज.

अस्वीकरण :

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अभिनव गर्ग

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

फ़रीदाबाद, हरियाणा